

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

जयपुर दिनांक 12.12.2005

क्रमांक: एफ. 10(18) नविवि 3/99

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त जिला कलेक्टर

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक पं. 2(11) नविवि/3/2000 दिनांक 31.5.2000 के द्वारा वर्षा के पानी द्वारा भूगर्भ का जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के लिये प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस समबन्ध में विचार किया जाकर राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर अथवा बड़े भूखण्डों पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित व वर्तमान भवनों में वर्षा के पानी द्वारा भूगर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु निम्न प्रकार से प्रावधान किया जायेगा।

300 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए 1 मीटर × 1 मीटर × 1.75 मीटर के पक्के गड्ढे का निर्माण किया जायेगा। इस गड्ढे में वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए नालियों की समुचित संरचना की जायेगी एवं संलग्न स्केच के अनुसार बोरवेल को जोड़कर जलरिसाव की व्यवस्था की जायेगी। 1000 हजार से 10000 वर्गमीटर तक उपरोक्तानुसार प्रति 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में उपरोक्तानुसार सैटबैक क्षेत्र में पानी रिसाव हेतु अलग-अलग जगह व्यवस्था होगी। एक हैक्टेयर से बड़े भूखण्ड में सक्षम अधिकारी द्वारा तय किये गये अनुसार वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक अधिक टैंक बनाये जायें तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोकपिट जैसी व्यवस्था की जायेगी।

भूखण्डों के मानचित्र जारी किये जाने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास एवं स्थानीय निकाय उचित रूप से उक्त प्रावधान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

( डॉ. ललित के. पंवार )

प्रमुख शासन सचिव

\* \* \*